

06

श्रीमण सोना शिविर 2025
तहसील बरसे, जिला चित्तौड़गढ़ 06/10/25
ग्राम पंचायत, दिनांक 17/10/25

सेवामें

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौड़गढ़(राज)

विषय - सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 13B

अनवान श्री उमा देवी पिता/पति श्री रतन लाल जाहि लोधा
बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बरसी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री उमा देवी पिता/पति रतन लाल निवासी दिलीप का/की हूँ/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का नगरी के राजस्व ग्राम दिलीप में खाता संख्या 21 कितना 1 रकबा 0.06 है, भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम लोधा दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में श्रीमाली दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम लोधा के बजाय श्रीमाली दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 7/10/2025

उमा हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का नगरी

महोदयजी

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीमान श्री उमा देवी पिता/पति रतन लाल निवासी दिलीप राजस्व ग्राम दिलीप पटवार हल्का नगरी की जमाबन्दी प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में श्रीमाली दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते है। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

नाम

अ.नि. Semalpur
हस्ताक्षर भू.अ.नि. Semalpur

कार्यालय तहसीलदार(गू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-भू.अ./2025/

दिनांक- / /2025

संज्ञित

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
चित्तौडगढ

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजगील नरको, जिला-चित्तौडगढ

ग्राम पंचायत, ~~राजगील नरको~~ दिनांक...17/10/2025

महोदय,

निवेदन है कि पत्नी / प्रार्थीयान श्री उमादेवी पिता/पति शहन लाल निवासी बिलीघा पटवार हल्का नगरी के राजस्व ग्राम बिलीघा में जनाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 21 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि ने सम्मानजनक जाति/नाम श्रीमाली किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम श्रीमाली का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार (गू.अ.)
तहसीलदार बस्सी
जिला-चित्तौडगढ (राज.)
जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-रीडर/2025/S12

दिनांक-31/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का नगरी

विषय - सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री उमादेवी पिता/पति शहन लाल निवासी बिलीघा पटवार हल्का नगरी की खाता संख्या 21 में जाति/नाम श्रीमाली दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंघा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री श्रीमाली पिता/पति शहन लाल की जाति/नाम श्रीमाली

राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का नगरी राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ